



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11062022-236517
CG-DL-E-11062022-236517

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2563]
No. 2563]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 10, 2022/ज्येष्ठ 20, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 10, 2022/JYAISHTHA 20, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2022

का.आ. 2690(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 6094 (अ) दिनांक 7 दिसम्बर 2018 जो भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II खंड 3 उप-खंड ii में दिनांक 10 दिसम्बर 2018 को प्रकाशित की गई थी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है

अर्थात :-

भारत सरकार की पूर्वोक्त अधिसूचनाओं में अनुसूचियों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा:

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-516इ के खंड (वाँडरा - विजयनगरम) तक के सम्बन्ध में भूमि का अर्जन

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7

1	रेवन्यू डिविजनल आफिसर विजियनगरम	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH516E के कि.मी. 2.125 से 26.937 तक	आंध्र प्रदेश	विजियनगरम	गन्त्यादा	1	थाटीपुडी
						2	माधनापुरम
						3	कोथाभेलगडा
						4	कोंडातमारपाल्ले
						5	बुरदापडु
						6	कोरलाम
						7	गन्त्यादा
						8	कोटरुबिल्ली
						9	नरवा
						10	रामावरम
					श्रुंगवरपुकोटा	1	तेनुबोद्धावरा
						2	चीडीपालेम
						3	मुशिदिपल्ले
						4	चिणाखंडेपल्ले
						5	किलतमपलेम

[फा. सं. LA/vspm/A1/2018 dt: 25.10.2018]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th June, 2022

S.O. 2690(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the notifications of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 6094(E), dated the 7th December 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 10th December 2018 namely:-

The Schedules in the aforementioned notifications of the Government of India shall be substituted as follows:

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH 516E (Bowdara - Vizianagaram Section) in the State of
ANDHRA PRADESH

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Revenue Divisional Officer Vizianagaram	2.125KM To 26.937KM	ANDHRA PRADESH	VIZIANAGARAM	Gantyada	1	Thatipudi
						2	Madhanapuram
						3	Kothavelagada
						4	KONDATHAMARAPALLE
						5	Buradapadu
						6	Korlam
						7	Gantyada
						8	Kotarubilli
						9	Narava
						10	Ramavaram
					Srungavarapukota	1	Tennuboddavara
						2	Cheedipalem
						3	Mushidipalle
						4	Chinakhandepalle
						5	Kiltampalem

[F. No. LA/vspm/A1/2018 dt: 25.10.2018]

RAJESH GUPTA, Director